27-11-17 | पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई कि वादी गोविन्द S/o गांगा जी ने वाद विरुद्ध प्रतिवादी गण अन्तर्गत धारा 53 व 88 R.T.A के पेश इस आशय का पेश किया कि वाद मे विरु सं 2 की आराजी फुलीया S/o वेरसा व विरु सं 3 की आराजी जीवा S/o वेरसा के नाम दर्ज रेकार्ड हो गई है जो गलत है। जबकि वेरसा S/o गांगाजी के तीन पुत्र है। - जीवा, गमना, फुलीया। S/o वेरसा उपरोक्त आराजी तीनो भाईयो के नाम उक्त पेतृक सम्पत्ती विरासतन से रेविन्यु रेकार्ड मे दर्ज होना चाहिये थी जब की उक्त आराजी जीवा व फुलीया S/o वेरसा के नाम दर्ज रेकार्ड हो गई जो गलत है। वादी उक्त पेतृक सम्पत्ति मे अपना हिस्सा लेने से वंचित रह गया। उक्त वेरसा S/o गांगाजी की सम्पत्ति मे जीवा, गमना व फुलीया S/o वेरसा भीला का विरासतन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	से 1/3-1/3 हिस्सा दर्ज किये जाने बाबत वाद पेश कर निवेदन किया ।
	वाद [illegible] पर [illegible] न्यायालय [illegible] न होने से [illegible] प्र. सं. 59/10 पर दर्ज किया गया व प्रतिवादीगण को तलबी के नोटिस जारी किये गये प्रतिवादी जवाब तक पेश हुआ [illegible] बाद न्यायालय के बार-बार नोटिस जारी किये जाने बावजूद न्यायालय में स्वयं उपस्थित व उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि या अधिवक्ता पेश नहीं हुआ। जिससे प्रतिवादी 1 व 2 के विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय सुनवाई अमल में लाई गयी।
	प्रकरण में सम्पूर्ण दस्तावेज [illegible] शपथ-पत्र जमाबंदी नकल रेकर्ड के अवलोकन से पाया गया कि उपरोक्त भूमि मृतक केसा s/o गांगजी [illegible] निवासी [illegible] के नाम खातेदारी में दर्ज रेकर्ड थी मृतक केसा s/o गांगजी की मृत्यु उसके वारिसान पुत्र जीवा, गमना, व पुत्रीया s/o केसा के नाम विरासत से 1/3-1/3 हक हिस्से से दर्ज होनी थी परन्तु प्रतिवादी जीवा s/o केसा व पुत्रीया s/o केसा के नाम दर्ज कर दी गई जो गलत हुई है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय उपरोक्त भूमि मृतक केसा s/o गांगजी के समस्त वारिसानों के हक हिस्से 1/3-1/3 के अनुसार दर्ज किये जाना उचित समझता है।
	लिहाजा वाद अन्तर्गत [illegible] 3 जीवा s/o केसा

Scanned by CamScanner

के नाम भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसका उल्लेख आवेदन में कर दिया गया कि उक्त आपत्ति जो नाबालिग के ओर S/o नेरसा उर्फ गीता के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आपत्तिकर्ता को पेश साक्ष्य नहीं होने से इस आपत्तिकर्ता का नामांतरण स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

वाद अन्तर्गत लिंक सं० 2 में फूलिया S/o नेरसा नाम दर्ज रेकार्ड भूमि मौजा सांडवी प० ह० - नीमपुर के खाता सं० 89 में दर्ज आराजियात आ० नं० 5, 6, 24, 52, 113, 656, 657, 689, 691, 692, 731, 732, 733, 865 रकबा क्रमशः 0.41, 079, 0.80, 1.12, 0.18, 0.27, 0.03, 0.80, 0.95, 0.02, 0.36, 0.70, 0.017, 0.07, 0.69 है। कुल किता 15 कुल रकबा 7.36 है। जो नेरसा S/o रामजी के वारिसान रामका, गीता, व फुलिया S/o नेरसा है जिसमें रामका व गीता फौत हो चुके है। उपरोक्त आराजियात (1) रामका S/o नेरसा का वारिस गोपसिंह S/o रामका को 1/3 हिस्सा

(2) गीता S/o नेरसा के वारिसान मानसिंह, धीरजी, नानका, रावजी, S/o गीता, कमलुड़ी W/o रावजी नन्दु S/o रावजी, रामजी S/o रावजी, नानजी S/o रावजी, शंकर S/o रावजी, सुगना W/o देवजी, कालुया S/o देवजी, प्रभुदा S/o देवजी, नारायण S/o देवजी को 1/3 हिस्सा व (3) फुलिया S/o नेरसा को 1/3 हिस्सा, उपरोक्त अनुसार उक्त आपत्ति को निरस्त कर नामांतरण जारी कर 1/3-1/3 हिस्से के अनुसार बंटवारा कर राजस्व रेकार्ड में

Scanned by CamScanner

दर्ज करने का तहसीलदार पीपलखूंट

को आदेश दिया जाता है। उक्त निर्णय

के अनुसार PD जारी हो PD की

पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को दिनांक

4-1-18 को पेश करे।

यह निर्णय बइजलास खुले न्यायालय में

सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पिपलखूंट जि. प्रतापगढ़

Scanned by CamScanner